



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 16 जून, 2026 ई०

ज्येष्ठ 26, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या- 303 / XVIII(3) / 2026-02(42)2017

देहरादून, 16 जून, 2026

अधिसूचना

प० आ०-30

126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अधिग्रहित ग्राम-बवाणी, तहसील-नरेन्द्रनगर की 0.0613 हे० निजी नाप भूमि के अनुपूरक प्रस्ताव का धारा-11 प्रारम्भिक अधिसूचना

॥ कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ॥

प्रारूप-II

नियम 5 (i)

भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना (अनुपूरक)

पत्रांक - 1105/8-वि०भू०अ०अ०/26-27 दिनांक, नई टिहरी, 21 मई, 2026.

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना हेतु ग्राम बवाणी, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में कुल 0.0613 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् श्री गुरु राम राय पी०जी० कॉलेज, देहरादून द्वारा पूर्व में सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एस०आई०ए०) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विवरित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। अतिरिक्त भूमि अर्जन की जाने वाले ग्रामों में धारा-04 के तहत सामाजिक समाघात यथा नियत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने पर अधिनियम की धारा-11(1) के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना के क्रम में अतिरिक्त भूमि अर्जन की प्रख्यापन निम्न रीति के अनुसार प्रकाशित किये जाने के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि "दिनांक 13.04.2021 को मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-10 अतिरिक्त भूमि के अनुपूरक प्रस्ताव के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त भू-अर्जन प्रस्तावों में सामाजिक समाघात अध्ययन (एस०आई०ए०) कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वांछित भूमि पूर्व में अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष अत्यन्त न्यून है।"

भूमि अर्जन के कारण शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की कोई आवश्यकता नहीं है।

अपर जिलाधिकारी, टिहरी को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः जिला टिहरी गढ़वाल, तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम बवाणी में उक्त परियोजना के लिए 0.0613 हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् 0.0613 हेक्टेयर मानक माप के भूखंड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है :-

क्र।सं.	ख० सं०	सर्वेक्षण खसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है० मं)	हितवद्ध व्यक्ति का नाम	सीमायें				वृक्ष		संरचना	
							उ०	द०	पू०	प०	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	12	937	निजी नाप भूमि	कृषि	0.007	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	937	896	938	896	—	—	—	—
		939	निजी नाप भूमि	कृषि	0.002	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	937	938	939	937	—	—	—	—
		944	निजी नाप भूमि	कृषि	0.003	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	945	947	947	945	—	—	—	—
		945	निजी नाप भूमि	कृषि	0.004	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	942	946	944	945	—	—	—	—
		946	निजी नाप भूमि	कृषि	0.005	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	945	993	950	945	—	—	—	—
		947	निजी नाप भूमि	कृषि	0.004	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	944	950	947	946	—	—	—	—
		950	निजी नाप भूमि	कृषि	0.007	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	947	951	950	946	—	—	—	—
		951	निजी नाप भूमि	कृषि	0.003	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	950	956	952	950	—	—	—	—
		952	निजी नाप भूमि	कृषि	0.004	गोविन्दराम पुत्र घनश्याम आदि	950	956	952	951	—	—	—	—

क्र सं	ख० खा० सं०	सर्वेक्षण खसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है० में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमायें				वृक्ष		संरचना	
							उ०	द०	पू०	प०	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	66	977	निजी नाप भूमि	कृषि	0.007	मातवर सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि	993	977	978	968	—	—	—	—
		978	निजी नाप भूमि	कृषि	0.003	मातवर सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि	993	977	979	977	—	—	—	—
3	71	963	निजी नाप भूमि	कृषि	0.0018	मोर सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि।	956	963	965	961	—	—	—	—
		965			0.0020	मोर सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि।	956	965	956	963	—	—	—	—
		966			0.0010	मोर सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि।	993	966	993	965	—	—	—	—
		968			0.0060	मोर सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि।	993	968	977	967	—	—	—	—
		969			0.0015	मोर सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि।	977	969	977	968	—	—	—	—
कुल योग :-					0.0613									

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल में और रेल विकास निगम ऋषिकेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट राजस्व एवं अर्जन निकाय के अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

स्थान : नई टिहरी

दिनांक :

ह0अस्पष्ट

कलेक्टर/समुचित सरकार,
टिहरी गढ़वाल।

सुनील सिंह,
अपर सचिव।